

○ महिला शिक्षा को सुरक्षा व शिकायत का त्वरित निबटारे के लिए बनेगी समिति

○ समिति के सदस्यों के नाम व हेल्पलाइन नंबर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य

रामपुर. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेजस्विनी आनंद ने क्षेत्र के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है। लेखापाल हिमांशु शेखर पांडेय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, पटना के पत्रांक-1067, 27 मई 2026 के आलोक में यह निर्देश

जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सभी विद्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, वीडियो तेजस्विनी आनंद ने कहा कि विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और वे सुरक्षित माहौल में कार्य कर सकें, इसके लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन अत्यंत आवश्यक है। यह समिति पोश अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कार्य करेगी व शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय तत्काल आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें। समिति के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर व हेल्पलाइन नंबर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जायें। समिति

गठन से संबंधित प्रतिवेदन तत्काल बीआरसी कार्यालय, रामपुर को उपलब्ध कराया जाये, ताकि निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा, पटना को समय पर अवगत कराया जा सके। लेखापाल हिमांशु शेखर पांडेय ने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य यौन उत्पीड़न की रोकथाम व पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाना है।

सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों व कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करावें, इससे कार्यस्थल पर भयमुक्त व सम्मानजनक माहौल बनेगा। वीडियो ने चेतावनी दी है कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी। यह कदम महिला सशक्तीकरण व सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पंजाब नैशनल बैंक

...पैसे का प्रतीक !

punjab national bank

...the name you can BANK upon !

(भारत सरकार का उपक्रम)

सर्किल ऑफिस सैम आरा: दूसरा तल्ला, होटल रिगल कॉम्प्लेक्स, रमना मैदान के निकट, आरा, भोजपुर, बिहार-802301
फोन नं.: 7407563366, ईमेल: cs8187@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधान के साथ चर्चित वित्तीय आसिरी के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आसिरी के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रें) एवं बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिबो/बंधक है, बिक्रीका रचनात्मक/भौतिक/संकेतिक कच्चा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, संबंधित उधारकर्ता(ओं), जमानतदार(रें) एवं बंधककर्ता(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। आरंभित मूल्य और बकाया राशि संबंधित संघर्षों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिणामितियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्ति(यों) का बंधककर्ता)	क) सरपसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के तहत यौन सूचना की तिथि ख) प्राण सूचना के अनुसार बकाया राशि ग) सरपसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कच्चा की तिथि घ) कच्चे का प्रकार संकेतिक/भौतिक/रचनात्मक ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरंभित मूल्य ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएमबी-ठाकुरहाट (275900) मेसर्स लक्ष्मी भण्डार, प्रो.-श्री चन्दन साह पिता-श्री गोपाल साह खाता नं. 2759008700007380 (उधारकर्ता) श्री चन्दन साह पिता-श्री गोपाल साह, आवासियों: ग्राम-ठाकुरहाट, पोस्ट-सबर, थाना-कर्मचंद, जिला-कैमूर, बिहार-821104 (जमानतदार) 1. श्री विनोद कुमार सिंह, पिता-श्री राज नथ सिंह, आवासियों: ग्राम-विज्जा, पोस्ट-सबर, थाना-कर्मचंद, जिला-कैमूर, बिहार-821104	जमीन अवस्थित है: बीजा-सिकरा, जिला-कैमूर, थाना नं.-478, थाना + अंचल-पपुआ, खाता नं.-44, प्लॉट नं.-456, एकवा-05 डिमांगल। डीड नं.-3055 तिथि 25.05.2017, चौहद्दी: उत्तर-श्री नथुरी सिंह दास, दक्षिण-08 फीट चौड़ा हासल, पूर्व-धनराज बिन्द, पश्चिम-रोष प्लॉट 456, निज मननोकिरा। बंधककर्ता-1. श्री चन्दन साह, पिता-गोपाल साह।	क) 01.08.2023 ख) रु. 19,13,700.74/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क ग) 16.04.2024 घ) संकेतिक ङ) रु. 30,25,428.74/- + आगे का बकाया ब्याज एवं अन्य शुल्क	क) रु. 11,97,000/- ख) रु. 1,20,000/- ग) रु. 50,000/-	23.06.2026 दोपहर 12:00 से साब 04:00	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तें निम्नलिखित के अधीन होगी।

- संपत्तियों "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेची जा रही है।
- उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संघर्षों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी अडि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- बिक्री अधीनस्थारथी द्वारा वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23/06/2026 को दोपहर 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक की जाएगी।
- बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in देखें।

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी